

सेवा में

श्री अक्षय राणा पुत्र श्री ओमवीर सिंह

अनुक्रमांक-474140403

निवासी-ग्राम व पो0 मोहम्मदपुर राय सिंह थाना भँवराकला

जनपद मुजफ्फरनगर 251309

Part 7

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपी:बी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सातों काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नानमीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7.3.20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री प्रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह
अनुक्रमांक-477220036
निवासी-ग्राम तिगरी पो0 भोपा थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर
जनपद मुजफ्फरनगर 251308


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2018 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सत्र काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटेरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटो,ग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सनोज कुमार पुत्र श्री जगमेर सिंह

अनुक्रमांक-474210065

निवासी-ग्राम व पो0 पिण्डौरा जहाँगीरपुर थाना झिझाना

जनपद शामली 247778

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलेक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एड प्रोन्न्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्राक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के परराष्ट्र बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटेरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मामली न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्रगण्य/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगमन प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विकास कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक-474140267
निवासी-ग्राम व पो0 जसोई थाना तितावी
जनपद मुजफ्फरनगर 251301

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्बर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्बर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अम्बरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अम्बर्थियों में से उपयुक्त अम्बर्थियों के आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अम्बर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में महानिरीक्षक न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अम्बर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अम्बर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अम्बर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये; यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्बर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री विकास कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह

अनुक्रमांक-474190590

निवासी-ग्राम व पो0 भनीषा थाना कान्चला

जनपद शामली 247775

टिप्पण्य:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग, पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीडी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000, मेस एडवॉस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उससे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च > 2020

सेवा में,

श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री ईश्वर सिंह

अनुक्रमांक-474140127

निवासी-ग्राम व पो0 गोयला थाना शाहपुर

जनपद मुजफ्फरनगर 251318


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनन्य पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर साथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टैंडिपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अंकित कुमार राठी पुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार

अनुक्रमांक-474101682

निवासी-ग्राम व पो0 तिस्सा थाना भोपा

जनपद मुजफ्फरनगर 251308


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्रि) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है, आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपरध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-।।।(उ0नि0ना0पु0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री मेघनाथ सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
अनुक्रमांक-474370170
निवासी-ग्राम फरखपुर निवादा पो0 भुशैल थाना फतेहपुर
जनपद सहारनपुर 247120


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पी.ए.सी. सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनन्य पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करके तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्तरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री हरीश कुमार पुत्र श्री बाबूराम
अनुक्रमांक-474310192
निवासी-ग्राम व पो0 अम्बौली थाना देवबन्द
जनपद सहारनपुर 247001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अननरं पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुसंध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये उचित दिशः निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री संजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश
अनुक्रमांक-474280478
निवासी-ग्राम रामपुरी पो0 व थाना रामपुर मनिहारन
जनपद सहारनपुर 247001

दिषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शण्य पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश;

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री मनमोहन पुत्र श्री घरम सिंह

अनुक्रमांक-474180771

निवासी-ग्राम सिखेड़ा व पो0 कवाल थाना सिखेड़ा

जनपद मुजफ्फरनगर 251314

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा, प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अग्रेतर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राम शंकर पुत्र श्री रामदास

अनुक्रमांक-473050573

निवासी-ग्राम-पो0 गढवार थाना जैतपुरकला तह0 बाह

जनपद-आगरा-283114

विषय:-

उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-09-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 के सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवॉर्स, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र उ0पु0 साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने सौर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सवा में,

श्री रामवीर सिंह खैनवार पुत्र श्री पूरन सिंह खैनवार

अनुक्रमांक-473030553

निवासी-ग्राम-जौताना पो0 /थाना फतेहपुर सीकरी तह0 किरावरी

जनपद-आगरा-283110

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में,

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-09-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाम्पपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कोमल सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
अनुक्रमांक-472220072
निवासी-ग्राम-पो0 नावली थाना नौहड़ील
जनपद-मथुरा-281205

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलेख कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, उच्चयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीअरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के प्रस्ताव सिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को समय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एव पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एव 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मनीष न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

2.3.20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति, उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये; यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश

अनुक्रमांक-472210592

निवासी-ग्राम-गढखाडा पो0 सौरई तह0 महावन थाना बल्देव

जनपद-मथुरा-283126

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरं पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-09-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् शैक्षिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवॉन्स, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सुभेन्द्र पौनिया पुत्र श्री स्व0 किशनवीर सिंह पौनिया
अनुक्रमांक-473030531
निवासी-ग्राम-बाद पो0 ककुआ थाना मलपुरा
जनपद-आगरा-282009

विषय:-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लेटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लेटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्दर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लेटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अभ्यर्थियों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लेटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में-

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-09-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को समय काल अपने आगमन का जमाना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उल्लेख अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अग्रेतर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अरूण कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश फौजदार

अनुक्रमांक-472240125

निवासी-ग्राम-सी-10 कामधेनु नगर नसीपुरम् गोकुल बैराज मोड़

पो0 औरंगाबाद थाना सदर बाजार तह0 मथुरा

जनपद-मथुरा-281006

विषय -

उपनिरीक्षक न०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०पु० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन का सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तार आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विक्रम सिंह यादव पुत्र श्री रामरूप सिंह यादव
अनुक्रमांक-472090700
निवासी-ग्राम-लतीफपुर थाना नगला सिंघी
जनपद-फिरोजाबाद-283103

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370, 2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


2-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अग्रेतर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पांच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजीत सिंह यादव पुत्र श्री रामरूप सिंह यादव

अनुक्रमांक-472090701

निवासी-ग्राम- लतीफपुर थाना नगला सिंधी

जनपद-फिरोजाबाद-283103

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य मे मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के जलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में जसपेर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिनिधि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिनिधि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिनिधि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सोबरन सिंह पुत्र श्री गया प्रसाद सिंह

अनुक्रमांक-473080519

निवासी-ग्राम- पो0 मल्लपुरा थाना खंदौली

जनपद-आगरा-283126

श्री.:

विषय:-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वार उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वार उपलब्ध कराये जाने के ऊल्लस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अग्रे आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एव त्दरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न की गयेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजय सिंह पुत्र श्री स्व0 रसपाल सिंह

अनुक्रमांक-474090094

निवासी-ग्राम- तम्बका पो0 अनौडा थारा राया

जनपद-मथुरा-281308

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मन्ती गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को समय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री महाराज सिंह

अनुक्रमांक-472090094

निवासी-ग्राम- मरसलगंज पो0 गागनी थाना नारखी

जनपद-फिरोजाबाद-283206

विषय:-

उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 113/0, 2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में न0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परितः निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्भरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पांच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री दिनेश चन्द्र गौतम पुत्र श्री ओम प्रकाश

अपुक्रमांक-472090101

निवासी-ग्राम- साती रोड सैलई थाना रामगढ़ पो0 फिरोजाबाद

जनपद-फिरोजाबाद-283203

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिटिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सम्पेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में गसपेट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजूडीशियल स्टाप्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपन साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय कार्यालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद जो इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चोव सिंह

अनुक्रमांक-473020408

निवासी-ग्राम- नगला तलफीगढी (गढी रामी) थाना- एतमादपुर

जनपद-आगरा-282006

विषय-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 07-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उच्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332.2.0/सआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रसि का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पांच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द्र

अनुक्रमांक-474101044

निवासी-ग्राम- नगला भम्मु थाना महावन पो0 किसनपुर

जनपद-मथुरा-281305

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएस् सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गते पदों सहित कुल-833 पदों के सम्बंध 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-337/19(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में ज्ञानपीठ न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे सूचना उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री दिलीप कुमार साकेत पुत्र श्री देव कुमार साकेत

अनुक्रमांक-473080193

निवासी-ग्राम- 9/4 मोती बाग यमुना ब्रिज कुबेरपुर थाना एत्माददौला तह0 एत्मादपुर

जनपद-आगरा-282006

विषय-

उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 26-07-2019 के द्वारा उ0नि0न0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजाकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0न0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सयं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवॉंस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रतिलिपि उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा ज़िले को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकर लाल
अनुक्रमांक-472220337
निवासी-ग्राम-पो0 भरना कला थाना- बरसाना
जनपद-मथुरा-281502


विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मनी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एव प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पी:आरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 15-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को समय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपमा 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य निधनानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पांच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री मुकेश चन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ सिंह

अनुक्रमांक-423140217

निवासी-ग्राम- पो0 अजान तह0 कुम्हेर उद्योग नगर

जनपद-भरतपुर(राजस्थान)-321025

विषय:-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पत्रित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के जलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 14-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 के समय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख को समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च > ,2020

सेवा में,

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री रोहिताश सिंह

अनुक्रमांक-439290020

निवासी-ग्राम- पो0 गुनसारा तह0 कुम्हेर उद्योग नगर

जनपद-भरतपुर(राजस्थान)-321202

विषय -


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन का सुनिश्चित करें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मनीष न्यायालय में योजित दिभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु.

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उरुका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राजकुमार मिश्र पुत्र श्री रामप्रताप मिश्र
अनुक्रमांक-455060522
निवासी-ग्राम- बमनी पो0 गौरा थाना जिगना
जनपद-मिर्जापुर-231313

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मः0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मनी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:-

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-09-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पदवी, संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहन्ने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय निदेशक, पुलिस, लखनऊ के योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अग्रद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226001

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

संवा में,

श्री अनीस कुमार शुक्ल पुत्र श्री चन्द्र कुमार शुक्ल
अनुक्रमांक-455060342
निवासी-ग्राम- नौगाँव पो0 नदिनी थाना विन्ध्याचल
जनपद-मिर्जापुर-231303

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से ए.पू. कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् अतिरिक्त प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य करोगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्दरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री मनीष कुमार मिश्र पुत्र श्री हनुमानजी मिश्र
अनुक्रमांक-455050527
निवासी-ग्राम- पाली पो0 जिगना थाना जिगना
जनपद-मिर्जापुर-231313

विषय -


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एट प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-09-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बसक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 के साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, जोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजीत कुमार गुप्त पुत्र श्री कालिका प्रसाद गुप्त
अनुक्रमांक-441150236
निवासी-ग्राम- नरहट्टी पो0 चाची कला थाना कोन सोनभद्र
जनपद-सोनभद्र-232221

विषय - उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटों/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में परित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

2-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न पत्रावली कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रणधीर कुमार सिंह पुत्र श्री आशोक कुमार सिंह

अनुक्रमांक-455030793

निवासी-ग्राम-ददरा पो0 राजगढ थाना मदिहान

जनपद-मिर्जापुर-231001

विषय-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, उच्यनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:सीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 के साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मूल रखावांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, जनसघ/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सूर्य प्रकाश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी नारायाण सिंह
अनुक्रमांक-441150147
निवासी-ग्राम- कूराकला पो0 शिवपुर थाना पन्नूगंज
जनपद-सोनभद्र-231213


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अभ्यर्थे पदों सहित कुल-833 पदों के सम्प्रेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बांसेक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहन्ने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य करिये।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति धर उसके प्रति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री प्रवीन कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह

अनुक्रमांक-440030118

निवासी-ग्राम व पो0 भदवास थाना पिलुआ

जनपद एटा 207123

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी, गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीडी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नाननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, एटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एव त्तरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र पाल
अनुक्रमांक-473110462
निवासी-ग्राम नगला डोकरिया पो0 काहौर थाना कासगंज
जनपद कासगंज 207401


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनुमरी पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


7-3-2020

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रारूप का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री धीरज कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-474040615

निवासी-ग्राम व पो0 ढाटौली धाना गौण्डा

जनपद अलीगढ़ 202123

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र के दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनाएं एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च) ,2020

सेवा में,

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र प्रसाद

अनुक्रमांक-474041001

निवासी-ग्राम दरबर की गढ़ी पो0 व थाना गौण्डा

जनपद अलीगढ़ 202123

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मन्नी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश;

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कुसुम पाल पुत्र श्री विजय पाल सिंह
अनुक्रमांक-462060580
निवासी-ग्राम सिंगपुर पो0 फफोटू थाना रिजोर
जनपद एटा 207001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 557 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नामजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, एटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उक्तक निलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पांच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 2020

सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह
अनुक्रमांक-474040981
निवासी-नेताजी कालोनी मैल रोड बाईपास रोड
थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़ 202001


विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गते पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोप्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री राजबहादुर सिंह

अनुक्रमांक-440040284

निवासी-सुनहरी नगर के पास सिकोहाबाद रोड एटा थाना कोतवाली

जनपद एटा 207001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहन्ने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, एटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रवेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिंह
अनुक्रमांक-440010375
निवासी-ग्राम नौहारी पो0 वसुन्धरा थाना अवागढ़
जनपद एटा 207001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपय: 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माजनीध न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


7-3-2020
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, एटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रैतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रैतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री मयंक प्रताप सिंह पुत्र श्री ऊधम सिंह

अनुक्रमांक-474060319

निवासी-ग्राम उसरह रसूलपुर पो0 जट्टारी थाना टप्पल

जनपद अलीगढ़ 202137

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र के दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11/(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
अनुक्रमांक-473140019
निवासी-ग्राम टिकैट पॉ0 बिसावर थाना सादाबाद
जनपद हाथरस 281302


विषय- उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री शिवकुमार सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह

अनुक्रमांक-473140020

निवासी-ग्राम तामसी पो0 मढाका थाना सहपड

जनपद हाथरस 281307

टिप्पण-


उपनिरीक्षक नं0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पी0अरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नं0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में सान्नीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पौच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री योगेन्द्र चौधरी पुत्र श्री राजमणि वर्मा
अनुकमांक-421030480
निवासी-ग्राम मकदूमपुर पो0 नरियाव थाना जहागीराबाद
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-223223


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिकित) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रामजगत यादव
अनुक्रमांक-480071275
निवासी-ग्राम तारडीह पो0 खपरैला बाजार थाना तारून
जनपद अयोध्या पिन-224204

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री मृत्युंजय कुमार वर्मा पुत्र श्री रामधारी वर्मा
अनुक्रमांक-421040103
निवासी-ग्राम इटौरी खुर्द पो0 टण्डवा जलाल थाना राजे सुल्तानपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224133

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिदम्बों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रांतीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिश निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अरविन्द यादव पुत्र श्री वंशराज यादव
अनुक्रमांक-414010933
निवासी-ग्राम पीरपुर पो0 लोरपुर थाना अकबरपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224235

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के नध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री शिवकुमार यादव पुत्र श्री पारसनाथ यादव
अनुक्रमांक-463040129
निवासी-ग्राम धारमीरपुर पो0 टिकरी थाना धम्मौर
जनपद अमेठी पिन-227405

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्राणि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री नितिन यादव पुत्र श्री वासुदेव यादव

अनुक्रमांक-480090809

निवासी-ग्राम सुरजनपुर पो0 मगरसनकला थाना करौदीकला

जनपद सुल्तानपुर पिन-228161

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मद्रासी न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री उमेश गिरि पुत्र श्री पतिराम गिरि
अनुक्रमांक-421040208
निवासी-ग्राम व पो0 चकिया थाना जैदपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224125

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पूंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11|(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री समाजीत यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव
अनुक्रमांक-421030385
निवासी-ग्राम रुद्रपुर भगाही पो0 बेलापरसा थाना बसखारी
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224129

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मनीनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0भा0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अविनाश कुमार पुत्र श्री आशाराम
अनुक्रमांक-414010906
निवासी-ग्राम नरकटा बैरागीपुर पो0 हरदासपुर थाना हसवर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224143


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0ना0पु0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजय कुमार पुत्र श्री मिल्लर यादव

अनुक्रमांक-480071422

निवासी-ग्राम देवकाली बाईपास चौराहा निकट केबिल फैक्टरी, रानोपाली

थाना कोतवाली अयोध्या

जनपद अयोध्या

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजय कुमार वर्मा पुत्र श्री राम आसरे वर्मा
अनुक्रमांक-421040073
निवासी-ग्राम पदमपुर पो0 परसनपुर थाना राजेसुल्तानपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224137


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0सी0मा0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री प्रेमप्रकाश वर्मा
अनुक्रमांक-421030529
निवासी-ग्राम व पो0 मैनपुर थाना जलालपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224149

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 1137C/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मारनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11 (उ0नि0ना0पु0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सौरभ वर्मा पुत्र श्री रक्षाराम वर्मा
अनुक्रमांक-414010899
निवासी-ग्राम व पो0 नगपुर मो0 अहियापुर थाना जलालपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224149

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0सी0मा0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री उमेश कुमार सैनी पुत्र श्री मुन्नालाल सैनी
अनुक्रमांक-480071112
निवासी-ग्राम व पो0 जयसिंह मऊ थाना तारून
जनपद अयोध्या पिन-224195

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहन्ने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मामलीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कमलेश कुमार यादव पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव
अनुक्रमांक-42103030058
निवासी-ग्राम व पो0 मठिया थाना जैतपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224149


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिश निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री संजय गिरि पुत्र श्री गुरु प्रसाद गिरि
अनुक्रमांक-463020612
निवासी-ग्राम तेदुआ पो0 व थाना शुक्ल बाजार
जनपद अमेठी पिन-227811

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अमेठीको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0मा0-2011)2019

दिनांक:मार्च 2020

सेवा में,

श्री पवन कुमार पाठक पुत्र श्री राजेन्द्र बी0 पाठक

अनुक्रमांक-480081165

निवासी-ग्राम ग्राम व पो0 मरुई सहाय सिंह बीकापुर पो0 खुजरहट थाना को0 नगर

जनपद अयोध्या पिन-224001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0ना0पु0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह
अनुक्रमांक-463020074
निवासी-ग्राम कोछित थाना मुसाफिरखाना
जनपद अमेठी पिन-227815

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये; यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11/(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
अनुक्रमांक-421060026
निवासी-ग्राम कुलहियापट्टी पो0 करमिसिरपुर थाना मालीपुर
जनपद अम्बेडकरनगर पिन-224159

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम शिरोमणि शर्मा
अनुक्रमांक-463170718
निवासी-ग्राम वीरशाह का पुरा पो0 नानेमऊ थाना मोतिगरपुर
जनपद सुल्तनपुर पिन-228133

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज :0 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 20, 2020

सेवा में,

श्री जयप्रकाश त्रिपाठी पुत्र श्री राजकुमार त्रिपाठी
अनुक्रमांक-463020014
निवासी-ग्राम सराय हृदय शाह, पो0 व थाना गौरीगंज
जनपद अमेठी पिन-227409


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी: सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पूंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कौशल
अनुक्रमांक-412011019
निवासी-म0स0 24 दतौरा पो0 बिरवी थाना बबेरू
जनपद बांदा पिन-210125


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0मा0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजितेश कुमार चौधरी पुत्र श्री राम आसरे

अनुक्रमांक-463050335

निवासी-ग्राम व पो0 मऊ थाना मऊ

जनपद चित्रकूट पिन-208009

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट घाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रामललक पुत्र श्री रामचरन
अनुक्रमांक-412010838
निवासी-ग्राम व पो0 पछौहा थाना कमासिन
जनपद बांदा पिन-210125

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अनिल राजपूत पुत्र श्री खेमचन्द्र राजपूत
अनुक्रमांक-412011833
निवासी-ग्राम गहरौली पो0 गहरौली थाना मुस्करा
जनपद हमीरपुर पिन-210506

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुरको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री हरिओम साहू पुत्र श्री रामरतन साहू
अनुक्रमांक-463070118
निवासी-ग्राम व पो0 खोही थाना कर्वा
जनपद चित्रकूट पिन-210204

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट घाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
अनुक्रमांक-463050486
निवासी-ग्राम व पो0 सिद्धपुर थाना कर्वा
जनपद चित्रकूट पिन-210205

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मामनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अरुण कुमार साहू पुत्र श्री सुखराम साहू
अनुक्रमांक-412010353
निवासी-गाम व पो0 पचनेही थाना कोतवाली देहात बांदा
जनपद बांदा पिन-210001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट घाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0ना0पु0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार सचान पुत्र श्री अमरचन्द सचान
अनुक्रमांक-412020434
निवासी-ग्राम अमिरता पो0 कुछेछा थाना कोतवाली हमीरपुर
जनपद हमीरपुर पिन-210301

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 1137C/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा: उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी: सीधी, भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मादनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट घाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री भईयालाल यादव
अनुक्रमांक-412011943
निवासी-ग्राम मैसता पो0 उरदना थाना मौदहा
जनपद हमीरपुर पिन-210507

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट घाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री गोरेलाल लोधी पुत्र श्री कामता प्रसाद तिवारी
अनुक्रमांक-412010380
निवासी-आमबाग चुंगी अतर्रा रोड बांदा कालिंजर थाना कालिंजर
जनपद बांदा पिन-210001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा: उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट घाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री चेताराम
अनुक्रमांक-412020326
निवासी-ग्राम मिहुना पो0 मुण्डेरा थाना मरुआ सुमेरपुर
जनपद हमीरपुर पिन-210301

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट घाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उनि0सी0मा0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री लक्ष्मी प्रसाद पुत्र श्री गजराज
अनुक्रमांक-432171190
निवासी-ग्राम व पो0 न्यूरिया थाना बिबार
जनपद हमीरपुर पिन-210301


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सुभाष चन्द दीक्षित पुत्र श्री फतेहचन्द्र दीक्षित

अनुक्रमिक-472260052

निवासी-ग्राम-सनौरा पो0 फरह थाना फरह

जनपद-मथुरा-281122

विषय:-

उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 665 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न आग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री द्वेन्द्र कुमार पुत्र श्री मेहश चन्द्र शर्मा

अनुक्रमांक-472120106

निवासी-ग्राम-लतुरा पो0 हिरनगाँव थाना दुण्डला

जन्मपद- फिरोजाबाद-283203

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस रडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)